संख्या- 301/2024/2328/41-2-2024-CN-1814592

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 09 दिसम्बर, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में 19-विज्ञापन मद की अवशेष धनराशि रू0 2000.00 लाख एवं 04-प्रदर्शनी मद की अवशेष धनराशि रू0 50.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-82802/110767/(बजट)/प्र0/2024-25, दिनांक 26.11.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करे।

2. अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 44 के विभिन्न लेखाशीर्षों के मानक मदों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-185/2024/983/41-2-2024-सी0एन0-1814592, दिनांक 24.06.2024 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद सं0	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03 पर्यटन सूचना एवं प्रचार-19-विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन मद	3000.00	1000.00
2	3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04 प्रदर्शनियों में भाग लेना-42-अन्य व्यय	100.00	50.00

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पर्यटन विभाग के अनुदान संख्या-44 के राजस्व लेखा के विभिन्न लेखाशीर्षों/उपशीर्षों में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मानक मद में उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख)

क्र0 सं0	मद सं0	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्राविधानित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03 पर्यटन सूचना एवं प्रचार-19-विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन मद	3000.00	2000.00	1000.00
2	3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04 प्रदर्शनियों में भाग लेना-42-अन्य व्यय	100.00	50.00	50.00

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) पूर्व में निवर्तन पर रखी गयी धनराशि एवं वर्तमान में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदित उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक** 3452808000300 पर्यटन सूचना और प्रचार **मानक मद** 19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय (*2*) रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक** 3452808000400 प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024**,** दिनांक-04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय**,** उ0 प्र0**,** प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय**,** उ0 प्र0**,** प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी**,** जवाहर भवन**,** उ0 प्र0**,** लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक**,** पर्यटन निदेशालय**,** उ0 प्र0**,** लखनऊ।
5. उप निदेशक**,** पर्यटन निदेशालय**,** उ**0**प्र**0,** लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7**,** उ0 प्र0 शासन**,** लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2**,** उ0 प्र0 शासन**,** लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।